>

Title: Need to take action against the Army official of Pakistan according to Geneva Convention.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, पाकिस्तान का हमारे देश के खिलाफ एक दुस्साहस भरा षडयंत्र तब देखने को सामने आया जब उसने कारगिल की एलओसी का उल्लंघन करके अपने सैनिकों द्वारा घुसपैठ करके भारत की धरती हथियाने का काम किया था। 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया जिसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। उसमें हमारे देश के कई सुपूत शहीद हुए थे जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। कैप्टन कालिया को 1998 में कमीशन मिला था और उसने जाट रेजिमैन्ट इनफैन्ट्री के माध्यम से कारगिल सैक्टर का पदभार संभाला था। जब कैप्टन कालिया अपने अन्य पाँच साथियों के साथ काकसर सैक्टर की बजरंग पोस्ट पर पैट्रोल करने जा रहे थे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें 15 मई, 1999 को पकड़ लिया। काफी समय तक आमने-सामने गोलीबारी के बाद जब उनके पास असला समाप्त हो गया तो यह घटना घटी। कैप्टन कालिया अपने सभी साथियों सहित 7 जून, 1999 तक, यानी 22 दिनों तक पाकिस्तानी सेना के कब्ज़े में रहे और 9 जून, 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कटी और बुरी हालत में उनकी बॉडी को भारत के हवाले किया था। 9 जून, 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया के पार्थिव शरीर को उनके पिता डॉ. एन.के.कालिया को सौंप दिया गया। उस समय जब कैप्टन सौरभ के पार्थिव शरीर को बुरी हालत में भारत के कमांडोज़ को भारत के कारगिल सैक्टर में सौंपा गया था तो उन्हें इस बात का अहसास करवाया गया था कि उनकी बॉडी को किस प्रकार से तोड़ा-मरोड़ा गया और किस प्रकार से प्रताड़ित कर उसे क्षत-विक्षत किया गया। 15 जून, 1999 को नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास को बुलाकर इस घटना को बताया गया था और उसे जेनेवा कनवैन्शन के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के प्रताड़ित करने का मामला बताया गया था। हालांकि कैप्टन के पिता डॉ. एन.के.कालिया तब से भारत सरकार तथा विश्व की अन्य संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं कि जेनेवा कनवैन्शन की मर्यादाओं के खिलाफ पाकिस्तान ने कारगिल में युद्धबंदियों के साथ जो व्यवहार किया है, इस मामले को राष्ट्रसंघ में उठाया जाए। परंतु यह खेद का विषय है कि इस ओर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कैप्टन सौरभ कालिया हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से संबंधित हैं और वैसे भी हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को सेना में भर्ती होकर देशसेवा करने का शौक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि करगिल युद्ध में चार परमवीर चक्रों में से दो हिमाचल प्रदेश के जवानों को प्राप्त हुए थे। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से ले कर जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के संबंधित सेना के अधिकारियों के ख़िलाफ़ जिनीवा कनवैन्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार की घिनौनी हरकत युद्धबंदियों के साथ करने पर जो हो सके, उसे तुरन्त करना चाहिए। कैप्टन सौरव कालिया के परिवार को इतने साल बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान है, उन्हें न्याय मिल सके, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN :

Shri Arjun Ram Meghwal,

Shri Rajendra Agrawal,

Shri Govind Prasad Mishra,

Shri Pralhad Joshi,

Shri Ravindra Kumar Pandey and

Shri Virendra Kumar are permitted to associate with the matter raised by Shri Virendra Kashyap.